रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15032023-244421
SG-DL-E-15032023-244421

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89]	दिल्ली, बुधवार, मार्च 15, 2023/फाल्गुन 24, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 562
No. 89]	DELHI, WEDNESDAY, MARCH 15, 2023/PHALGUNA 24, 1944	[N. C. T. D. No. 562

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पुरातत्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 मार्च, 2023

सं.फा. 2(21)/स्था./पुरातत्व/2017/644.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं.फा. 27/59–एचआईएम (I) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 16 जून 1983 की अधिसूचना सं. फा. 2(30)/82–एस.II द्वारा अधिसूचित पुरातात्विक अभियंता के पद के भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 'पुरातात्विक अभियंता' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ**

(1) इन नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुरातत्व विभाग, 'पुरातात्विक अभियंता' के पद हेतु भर्ती नियमावली 2023 कहा जाएगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **अनुप्रयोग**

ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर**

उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यता इत्यादि**

उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. **अयोग्यता**

ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

6. **शिथिल करने की शक्ति**

जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा, कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

7. **बचाव**

इन नियमों की किसी भी बात का भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	पुरातात्विक अभियंता
2.	**पदों को संख्या**	:	01* (2023) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय राजपत्रित, समूह 'ख'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –7 (44900–142400/– रुपये)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है।**	:	लागू नहीं ।
6.	**सोधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं ।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	लागू नहीं ।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारो पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं ।
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	लागू नहीं ।
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	मिश्रित पद्धति द्वारा (प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) और पदोन्नति) ।
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है**	:	**मिश्रित पद्धति (प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) और पदोन्नति)** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम /सांवधिक या स्वायत्त संगठन/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी :–

			(क) (i) मूल संवर्ग/विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर –6 के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष। तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले : अनिवार्य योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि। अनिवार्य अनुभव : सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। टीप 1 – ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400 –112400/–रूपये) में विभागीय पर्यवेक्षक तथा उपाधि की योग्यता या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले भी बाहरी उम्मीदवारों के साथ विचारणीय होंगे तथा यदि पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन होता है तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा । टीप 2 – केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	लागू नहीं ।
13.	**वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

चोखा राम गर्ग, सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

NOTIFICATION

Delhi, the 15th March, 2023

No. F. 2(21)/Estt./Archy/2017/644.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification number F.27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959 and in supersession of the recruitment rules for the post of Archaeological Engineer notified vide notification No. F.2(30)/82-S.II dated 16th June, 1983, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Archaeological Engineer in the Department of Archaeology, Government of National Capital Territory of Delhi, namely :-

1. **Short Title and Commencement.**

   (1) These rules may called the Government of National Capital Territory of Delhi, Department of Archaeology, Archaeological Engineer Recruitment Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Application.**

   These rules shall apply to the posts specified in column (1) of Schedule annexed to these rules.

3. Number of Posts, its classification and level in pay matrix.

The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualification etc.

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualifications.

No persons, -

(a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

1.	***Name of Post.***	*Archaeological Engineer.*
2.	***Number of Posts.***	01* (2023) * Subject to variation dependent on workload.
3.	***Classification.***	General Central Service Non Ministerial, Gazetted, Group, B.
4.	***Pay Level in the Pay Matrix.***	Level – 7 (Rs. 44900- 142400/-).
5.	***Whether Selection Post / Non-Selection Post.***	Not Applicable.
6.	***Age limits for Direct Recruits.***	Not Applicable.
7.	***Educational and other qualification required for direct recruits.***	Not Applicable.
8.	***Whether age and educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.***	Not Applicable.
9.	***Period of Probation if any.***	Not Applicable.
10.	***Method of Recruitment.***	By Composite method [Deputation (ISTC) plus promotion].
11.	***In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.***	**Composite method [Deputation (ISTC) plus promotion]:** Officers from the Central Government / State Governments / Union Territory Administrations / Public Sector Undertakings / Statutory or Autonomous Organizations/ Recognized

		Universities/ Recognized Research Institutes: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-6 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/ department; **AND** (b) possessing the following educational qualification and experience : **Essential:** (i) Graduate degree in Civil Engineering from a recognized University/Institute. **Experience :** Three years experience in the field of Civil Engineering. **Note 1**: The Departmental Surveyor in Level-6 (Rs. 35400 - 112400) of the pay matrix with five years regular service in the grade and possessing the qualification of Degree or Diploma in Civil Engineering will also be considered along with outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 2**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the last date of receipt of applications.
12.	***If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.***	Not Applicable.
13.	***Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.***	Consultation with UPSC is not necessary.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

CHOKHA RAM GARG, Secy. (ACL)

.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2023.03.15 22:57:02 +05'30'